

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीतारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

प्रार्थीगण

2073

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 30-8-11

1 बाबूसिंह 2 दत्तपतसिंह पिसारान
पदमसिंह जाति पुरोहित निवासी
पुरोहितों की बस्ती (मूठों की ढाणी)
कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पारा 128,111 राजस्थान गू-राजरन अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 935/2018

1 खुशालसिंह पुत्र पूनमसिंह वगैराह जाति
पुरोहित निवासी पुरोहितों की बस्ती (मूठों की
ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।

दिनांक- 20/8/13

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूठों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 172 रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 30-8-11

क्रमांक :- रीडर/2019/

2074-2077

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूठों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बाबूसिंह पुत्र पदमसिंह वगैराह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितों की बस्ती (मूठों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खुशालसिंह पुत्र पूनमसिंह वगैराह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितों की बस्ती (मूठों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर